न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर ,शहर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 214/2011

ऑनलाईन प्रकरण संख्याः– 2011/00016

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपाल जाति सोंलकी निवासी एसबीबीजे बैंक के सामने गंगाशहर रोड बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
2. श्रीमति मधादेवी पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति सोंलकी निवासी एसबीबीजे बैंक के सामने गंगाशहर रोड बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

––वादीगण––

–बनाम–

1. चेतनमल
2. नेमचन्द
3. श्यामसुन्दर
4. गोपीकिशन
5. जगदीश प्रसाद
6. जितेन्द्र कुमार

पुत्रगण मनोहरलाल जाति शर्मा निवासी मिर्चवाली गली नं. 1 फडबाजार बीकानेर।

7. मु. चान्दादेवी पत्नि सुगनाराम जाति ब्राहाण निवासी आथुना बास, जैन मन्दिर के पीछें, उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर
8. बालकिशन
9. बनवारी लाल
10. ओमप्रकाश
11. मुरलीधर

पुत्रगण सुगनाराम जाति ब्राहाण निवासी आथुना बास, जैन मन्दिर के पीछे, उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर।

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर।

––प्रतिवादीगण––

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राज. काश्त. अधि.1955

अभिभाषक उपस्थितिः–

1. **श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक वादीगण।**
2. **श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बाद जवाब देही अनुपस्थित, एक तरफा कार्यवाही ।**
3. **प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही ।**
4. **राज्य की ओर से पैरोकारराज ।**

सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

–:निर्णयः– **दिनांकः– 29.01.2020**

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के सयुंक्त खातेदारी में वाके रोही उदयरामसर मे खेत खसरा नं. 1031 तादादी 1.15 हैक्टयर, खसरा नं. 1105 तादादी 5.40 हैक्टेयर कुल तादादी 6.55 हैक्टेयर भूमि स्थित है। सयुंक्त खातेदारी भूमि में वादीगण का 7/10 हक व हिस्सा है जिसे वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2010 को खरीद किया है। मदनलाल पुत्र हरजीराम का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का 1 /10 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 7 ता 11 का 1/10

हिस्सा है। मदनलाल पुत्र हरजीराम निधन लाऔलाद हो गया है। मदनलाल पुत्र हरजीराम जाति ब्राहाण के प्रतिवादी नं. 1 ता 11 ही जायज वारिसान है, इस प्रकार वादगत भूमि में वादीगण का 7/10 हक हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 ता 11 का 3/10 हक व हिस्सा है। वादगत भूमि में वादीगण का खसरा नं. 1031 तादादी 1.15 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 1105 तादादी 3.435 (उतरी दिशा में) कुल तादादी 4.585 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त है। जहां विक्रेतागण द्वारा वादीगण को सौंपा गया था। जिसको वादीगण विभाजन में प्राप्त करने के हकदार है।

2. वादगत भूमि सयुंक्त खाते में दर्ज होने के कारण वादीगण अपने भूमि पर सुधार कार्य नही करवा सकते, सिचाई व ऋण सुविधा आदि प्राप्त नहीं कर सकते। वादगत भूमि में अपने हक व हिस्सें तथा कब्जा काश्त के अनुसार अथवा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने हेतु तथा लगान अलग से कायम कराने एवं खाता अलग कराने हेतु वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया, कि वे तहसील कार्यालय चलकर वादगत भूमि का विभाजन कब्जे काश्त अनुसार करवा लेवे। लेकिन प्रतिवादी आजकल–आजकल कहकर टालते रहें। दिनांक 05.05.2011 को प्रतिवादीगण ने विभाजन करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा वादगत भूमि बिना विभाजन के की विक्रय करने तथा जबरन बेदखल करने की धमकी दी। इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व विभाजन करवाने एवं चिरस्थाई निषेघाज्ञा प्राप्त करने का हक पैदा हो गया, जिसके लिये दावा प्रस्तुत किया गया है।

3. दिनांक 05.05.2011 जिस दिन वादीगण को प्रतिवादीगण ने वादगत भूमि विभाजन कराने से स्पष्ट इन्कार किया तथा भूमि को बिना विभाजन करवाये की विक्रय करने एवं जबरन बेदखल करने की धमकी दी। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वादकारण हासिल हुआ है। यही दिनांक विनाय दावा एवं विनाय मुखारस्मत है। दावा में राजस्थान राज्य आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान राज्य के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावें कि वादगत भूमि में वादीगण का 7/10 हक व हिस्सा कब्जें काश्त के अनुसार उदयरामसर का खसरा नं. 1031 तादादी 1.15 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 1105 की तादादी 3.435 हेक्टेयर (उतरी दिशा मे) कुल तादादी 4.585 हैक्टेयर के अनुसार अथवा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे चिरस्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण जारी की जावे कि प्रतिवादीण वादगत भूमि में वादीगण के हक व हिस्से के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे न ही बिना विभाजन विक्रय करें, ना ही वादीगण को जबरदस्ती बेदखल करे ना ही कोई ऐसा फैल या तर्क फैल करे जिससे वादीगण के अधिकारों एवं कब्जे काश्त पर बुरा असर पड़े।

4. इस वाद के पेश होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगणों को जरिये समन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5 ता 7 की तरफ से श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित एडवोकेट व प्रतिवादी सं. 4 की तरफ से श्री अरूण सोलंकी, 8 ता 11 की तरफ से श्री नायब सिंह बूटर एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व वकील प्रतिवादीगण 1 ता 6 की तरफ से जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा खरीद करना व जमीन सुधारना या विभाजन के बारे में किसी तरह की वार्ता करना प्रतिवादीगण को आज तक अवगत नहीं करवाया गया है और प्रतिवादीगण को न ही इस वाद की जानकारी है कि वादगत इस खसरे के खरीददार काश्तकार है, क्योंकि वादीगण का मौके पर ना तो कब्जा है ना कब्जा किया हैं ना ही उन्होनें काश्त की है। वादीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है, बाला–बाला रजिस्ट्री करवायी गयी है। इसलिये वाद पत्र खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादी सं. 7 ता 12 का जवाब दावा बन्द किया गया।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

5. वादपत्र व वादोतर में पक्षकारान द्वारा लिये गये अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार वाद बिन्दु विरचित किये गये:–

1. आया वादीगण वाद पत्र के पैरा सं. 3 मे अंकित भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है —जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकरी है। —जिम्मे वादीगण
3. आया वादीगण वादगत भूमि पर कब्जा नहीं है वाद वादीगण काबिल खारिज है। —जिम्मे प्रतिवादीगण
4. दादरसी ।

6. वादीगण ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 ग्राम उदयरामसर के खसरा नं. 1031 व खसरा नं. 1105 की कुल तादादी 6.55 हेक्टेयर मेसे महावीर कुमार बैद का 7/10 हिस्सा जरिये रजिस्ट्री दिनांक 06.12.2010 को खरीद किया था, जो प्रदर्श–1 हैं। उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 प्रदर्श–2 है, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 प्रदर्श–3 है, प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 प्रदर्श–4 व प्रमाणित राजस्व मानचित्र प्रदर्श–6 को परिक्षित करवाया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की तरफ से कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

7. वकील वादी उपस्थित व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के वकील न्यायालय समय के आवाज लगाने पर भी बहस हेतु उपस्थित नहीं आये। अतः वकील वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम उदयरामसर के खेत खसरा नं. 1031 तादादी 1.15 हेक्टेयर व खसरा नं. 1105 तादादी 5.40 हैक्टेयर कुल 6.55 हैक्टेयर भूमि मे वादीगण का 7/10 हिस्सा है। जिसका बटवारा चाहा गया है, जो वादीगण के हद तक बटवारा कर दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 का जवाब बन्द है व शेष प्रतिवादीगण का specific deny नहीं हैं।

8. हमने वादपत्र में सलंग्न दस्तावेज व जवाब दावा का अवलोकन किया व बहस का मनन किया गया। वादपत्र में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा जवाब पेश किया गया व शेष 7 ता 11 प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा अपने पक्ष में कोई लिखित व मौखिक साक्ष्य पेश किये गये है व ना ही वह दौराने बहस उपस्थित आये है। प्रतिवादी सं. 12 से कोई रिलीफ नहीं चाही गयी है, लैण्ड होल्डर होने के नाते औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अतः वकील वादी के कथनानुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम उदयरामसर के खेत खसरा नं. 1031 तादादी 1.15 हैक्टेयर खसरा नं. 1125 तादादी 5.40 हेक्टेयर कुल तादादी 6.55 हैक्टैयर भूमि में वादीगण का हिस्सा 7/10 हिस्सा का वादी की हद तक विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर किया जाता है। प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है व निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) बीकानेर को इस निर्देश के साथ भिजवायी जाती है कि वे पक्षकारों को नोटिस जारी कर मौका पर जाकर निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव, लगान व नक्शा की दो–दो प्रतियों में भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया व इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(बिन्दु खत्री)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2020.02.03 14:58:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: